



# भारत का राजगान The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 55 ]  
No. 55]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2003/माघ 3, 1924  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2003/MAGHA 3, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2003

का.आ. 67(अ).—भारत के नियोत व्यापार के विकास के लिए नियोत से पूर्व बासमती चावल को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कठिपय प्रस्ताव नियोत (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के आदेश संख्या का 03मा 185 (अ) तारीख 1 मार्च, 2001 के आदेश के अधीन भारत सरकार के राजपत्र भाग-2, खंड-3, उपखंड-(ii) तारीख 1 मार्च, 2001 में प्रकाशित किए गए थे।

और उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आज्ञेष्ट और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5.मार्च, 2001 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त प्राप्त के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय संस्कार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, नियोत (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अंधनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियोत निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के नियोत व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,

(1) यह अधिसूचित करती है कि बासमती चावल निर्यात से पूर्व व्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा,

(2) यह विनिर्दिष्ट करती है कि व्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण का प्रकार, जो निर्यात से पूर्व बासमती चावल को लागू होगा, बासमती चावल निर्यात (व्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 2003 के अनुसार व्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण का प्रकार होगा, और

(3) निम्नलिखित को मान्यता देती है,

(क) 'आयात करने वाले देशों के राष्ट्रीय मानक और अन्तर्राष्ट्रीय मानक';

(ख) विदेशी क्रेतां और निर्यातकर्ता के बीच तथा प्राप्त गए संविदात्मक विनिर्देश, जिनके अन्तर्गत क्षार अंक, मांड (एमिलेस) के संधटक, अविलोय मांड के संधटक, जेल गतिशीलता, भारी धातुओं, नाशक कीटमार अवस्थाएँ की उपस्थिति, चावल की जीवों, परजीवियों और फुर्नदी से मुक्ति संबंधी जैसे वैकल्पिक परीक्षण भी हैं।

परन्तु यह तब जब कि ऐसे विनिर्देश जो ऊपर रखण्ड (क) और रण्ड (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं, इस भादेश से संलग्न अनुसूची में अनुबर्छ व्यूनतम विनिर्देशों से कम न हो,

(ग) संविदात्मक विनिर्देशों के जहों पर इस भादेश की अनुसूची में दिए गए व्यूनतम विनिर्देश;

परन्तु यह तब जब कि निर्यातकर्ता आयातकर्ता से पुष्टि करता है कि रण्ड (क) और रखण्ड (ख) के अधीन विनिर्देश आयात करने वाले देश में प्रवृत्त राष्ट्र विधियों के, यदि कोई हो, अनुरूप हैं,

(4) बासमती चावल के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, बासमती चावल के निर्यात को तब तक प्रतिष्ठित करता है, जब तक कि वह उसको लागू मानक

विनिर्देशों की पुष्टि न करे और उसके साथ निर्यात (व्हालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी अभिकरण जिसमें द्वेष के विभिन्न भागों में अवस्थित उसके उप कार्यालय भी सम्मिलित हैं, द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रनाण-पत्र न हो,

(5) इस आदेश को कोई भी बात समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा बासमती चावल के ऐसे नमूजों के निर्यात को लागू नहीं होगी जिनका मूल्य सन्तान-समय पर निर्यात नीति में अधिकथित अनुज्ञाय सीमा से अधिक नहीं होगा और जहाँ ऐसा कोई उपबंध विद्यमान नहीं है वहाँ उसका मूल्य 500/- रु. से अधिक नहीं होगा।

(6) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का 03आ 481 (अ) और का 03आ 482 (अ) तारीख 25 जुलाई, 1991 और का 03आ 929 (अ) तारीख 4 दिसम्बर, 1990 के अन्तर्गत रवींड़न शिथिलीकरण यथावश्यक परिवर्तन सहित बासमती चावल के निर्यात को लागू होगा।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

### अनुसूची

#### भारतीय बासमती चावल के लिए मानक

श्रेणी	पकने से पूर्व न्यूनतम अधि. अधि. अधिक अधिक अधि.	एल/बी करतम करतम करतम करतम तम तम तम विजा अन्त्र अन्य अन्य कुटे हुए धान के का अनुपात अनुपात करतम	बीति द्वारा सफेद दूटे तीव्र पदार्थ फैले द्वारा और दूकड़े % फिरमें लाल दाने अनुपात दाने %	ग्रस्त दाने/ दर्ग दाने % बदली गिरियां %									
	न्यूनतम और सतत लम्बाई में	नमी दाने %	दर्ग दाने %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## अशीन कुटे चावल

विशेष	7.1	3.5	14	0.5	3	2	0.1	0.1	5	2.0	0.1	1.7	-
क	7.0	3.5	14	0.7	5	3	0.25	0.1	8	2.5	0.2	1.7	-
ख	6.8	3.5	14	1.0	7	5	0.4	0.2	15	3.5	0.3	1.7	-

## अशीन कुटे सेला चावल

विशेष	7.1	3.5	14	0.5	0.1	2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.5	-
क	7.0	3.5	14	0.7	0.5	3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.5	-
ख	6.8	3.5	14	1.0	1.0	5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.5	-

## झुरे चावल

विशेष	7.4	3.5	14	0.5	3	2	0.2	0.10	5	2.0	2.0	1.7	2.0
क	7.2	3.5	14	0.7	5	3	0.5	0.10	8	2.5	0.5	1.7	4.0
ख	7.0	3.5	14	1.0	1.0	5	1.00	0.20	15	3.5	0.8	1.7	6.0

## झुरे सेला चावल

विशेष	7.4	3.5	14	0.5	0.5	2	0.2	0.10	5	2.0	0.1	1.5	2.0
क	7.2	3.5	14	0.7	1.0	3	0.5	0.10	8	2.5	0.2	1.5	4.0
ख	7.0	3.5	14	1.0	2.0	5	1.00	0.20	15	3.5	0.3	1.5	6.0

[फा. सं. 6/2/2000-ई आई एण्ड ई पी]

एम. वि. पि. सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## ORDER

New Delhi, the 23rd January, 2003

S.O. 676 — Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Basmati Rice to quality control and inspection prior to export was published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 1<sup>st</sup> March, 2001 under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, No.S.O. 185(E) dated the 1<sup>st</sup> March 2001;

And whereas, objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby, within the period of thirty days from the date of publication of the said Order in the said Gazette;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 5<sup>th</sup> March, 2001;

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion, that it is necessary and expedient so to do, for the development of the export trade of India, hereby:-

(1) notifies that the Basmati Rice shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies that the type of quality control and inspection which shall be applied to such Basmati Rice prior to export shall be the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003; and

(3) recognises—

a) the national standards of importing countries and international standards;

b) the contractual specifications agreed to between the foreign buyer and the exporter, which may include optional tests such as alkali score, amylose content, insoluble amylose content, gel mobility, presence of heavy metals, pesticides residues, freedom of rice from organisms, parasites and fungi;

Provided that such specifications as are referred to in clause (a) and (b) above are not below the minimum specifications stipulated in the Schedule annexed to this Order; and

c) in the absence of contractual specifications, minimum specifications as set out in the Schedule to this Order:

Provided that the exporter confirms from the importer that the specifications under clause (a) and (b), conform to the food laws, if any, in force in the importing country.

(4) prohibits the export of Basmati Rice in the course of international trade, unless it conforms to the standard specifications applicable to it and is accompanied by a certificate of inspection issued by any of the Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) including its sub-offices located at various parts of the region.

(5) Nothing contained in this Order shall apply to export by sea, land or air of samples of Basmati Rice, the value of which shall not exceed permissible limits laid down in exim policy from time to time and where no such provisions exists, the value shall not exceed Rs. 500/- to prospective buyers.

(6) The relaxations granted and by Government of India, Ministry of commerce's Notification numbers S.O.481(E) and S.O. 482(E) dated 25<sup>th</sup> July, 1991 and S.O.929 (E) dated 4<sup>th</sup> December, 1990 shall mutatis mutandis apply to the export of Basmati Rice.

(7) This order shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

#### SCHEDULE

##### STANDARDS FOR INDIAN BASMATI RICE

Grade	Minimum Average Pacock Length in mm	Min. L/B Ratio	Max. Moisture content %age	Max. Damaged Discoloured Grain %	Max. Chalky Grain / Black Kernal %	Max. Broken & Fragments %	Max. Foreign Matter %	Max. other Grain %	Max. other Rice varieties %	Max. milled & red stripped grain %	Max. Paddy Grain %	Minimum Elongation Ratio	Maximum Green Grain %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>MILLED</b>													
Special	7.1	3.5	14	0.5	3	2	0.1	0.1	5	2.0	0.1	1.7	-
A	7.0	3.5	14	0.7	5	3	0.25	0.1	8	2.5	0.2	1.7	-
B	6.8	3.5	14	1.0	7	5	0.4	0.2	15	3.5	0.5	1.7	-
<b>MILLED PARBOILED</b>													
Special	7.1	3.5	14	0.5	0.1	2	0.10	0.10	5	2.0	0.1	1.5	-
A	7.0	3.5	14	0.7	0.5	3	0.25	0.10	8	2.5	0.2	1.5	-
B	6.8	3.5	14	1.0	1.0	5	0.40	0.20	15	3.5	0.3	1.5	-
<b>BROWN</b>													
Special	7.1	3.5	14	0.5	3	2	0.2	0.10	5	2.0	0.2	1.7	2.0
A	7.2	3.5	14	0.7	5	3	0.5	0.10	8	2.5	0.5	1.7	4.0
B	7.0	3.5	14	1.0	7	5	1.00	0.20	15	3.5	0.8	1.7	6.0
<b>BROWN PARBOILED</b>													
Special	7.1	3.5	14	0.5	0.5	2	0.1	0.10	5	2.0	0.1	1.5	2.0
A	7.2	3.5	14	0.7	1.0	3	0.5	0.10	8	2.5	0.2	1.5	4.0
B	7.0	3.5	14	1.0	2.0	5	1.00	0.20	15	3.5	0.3	1.5	6.0

[F. No. 6/2/2000-EI&EP]

M. V. P. C. SASTRY, Jt. Secy.